

# न्यायालय नायब तहसीलदार प्रथम / द्वितीय अजमेर

राजस्व मुकदमा संख्या 40/2017

अनुच्छेद 51 राज. भू-राजस्व अधिनियम, 1956

सरकार ज़रिए पटवारी हल्का खाडपुरा बंगला

श्री कामु श्री लीला  
जतिवाल  
गिः खाडपुरा

### निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खाडपुरा में रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम खाडपुरा खसरा नं. 895 खसरा 1085 किस्म बाड़-घरगाह सिंचनयुक्त है, पर सन्वत् 2073 में अतिक्रमण कर सब्जी / खरीफ में फसल खाडा बनाकर कटजा बो दी है। घास / बाड़ / मकान या अन्य तरीके से अनाधिकृत कब्जा कर लिया है।

पटवारी रिपोर्ट से आवश्यक होकर विपक्षी के खिलाफ अन्तर्गत धारा 90 ए. एवं 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षी की तलबी ज़रिये नोटिस की गई। विपक्षी बावजूद नोटिस पर हाजिर / गैरहाजिर आया। इसलिए प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार / अस्वीकार किया। अन्वय पक्ष में किसी तरह की शहादत पेश नहीं की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षी को विचारित आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक शुभोल को फसल की निलामी / निर्माण कार्य जप्त सरकार कर फर्द पेश करेंगे एवं दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 2 का 50 गुणा 100/- का शक्ति रुपया 200/- कायम की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार को कायमी व पटवारी को कायमी बेदखली हेतु लिखा जाने।

निर्णय आज दिनांक 10/3/2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली की राशि 100/- रा.ले.सं-4 वर्ष 2017-2018 के फर्द रा. 11 पर इन्दाज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार  
अजमेर

नायब तहसीलदार प्रथम / द्वितीय  
अजमेर जिला